न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 70 / 2016

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1 प्रतापराम गोदपुत्र चुन्नीलाल		1 तीजो बाई पत्नी खीमा, जाति सीरवी निवासी चांचोडी, तहसील रानी जिला पाली (राज.)
2 हिमता पुत्र खीमा,		2 मगाराम पुत्र देवारामजी
3 वजा पुत्र खीमा,		3 वेलाराम पुत्र देवारामजी
4 जेठा पुत्र हेमा,		4 पकाराम पुत्र देवारामजी जातिगण सीरवी निवासीगण इटन्दरा चारणान, तहसील रानी जिला पाली (राज.)
5 मृत सका पुत्र तेजा के कायम मुकाम :–		5 शंकरसिंह पुत्र सुखसिंह जाति पुरोहित, निवासी पुनाड़िया, तहसील रानी जिला पाली
5.1. मांगीलाल पुत्र सका,		6 राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार रानी जिला पाली
5.2. दिनेश पुत्र सका,		
5.3. मीना पुत्री सका,		
5.4. फूलीदेवी पत्नि सका,		
6 हंजा पत्नी पूना,		
7 चूनकी पत्नी नरसा,		
8 गुड़िया पुत्री नरसा,		
9 बसन्ती पुत्री नरसा, कुदरती माता चुनकी, जातिगण मेघवाल, निवासीगण माण्डल, तहसील रानी जिला पाली		

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री पोकरलाल परिहार, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

–: निर्णय :–

दिनांक : 11.1.18

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सहायक कलेक्टर रानी द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 59 / 2009 हंजा वगैरा बनाम तीजोबाई वगैरा में पारित आदेश दिनांक 26.05.

2016 के विरूद्ध पेश की, जिसे दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स द्वारा अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलाण्ट अनुसूचित जाति के व्यक्ति है, इनके पूर्वजों की खातेदारी भूमि ग्राम माण्डल के गत खसरा नम्बर 663 रकबा 30 बीघा 16 बिस्वा एवं खसरा संख्या 663/1 रकबा 5 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 672 रकबा 52 बीघा 7 बिस्वा स्थित थी, जिसके हाल खसरा नम्बर 449 व 453 है। उपरोक्त भूमि गलत रूप से स्वर्ण जाति के व्यक्तियों के नाम खातेदारी में दर्ज कर दी थी, जिसके विरूद्ध अपीलाण्ट्स की ओर से खातेदारी घोषणा एवं निषेधाज्ञा का वाद सहायक कलेक्टर महोदय पाली के न्यायालय में मय अस्थायी निषेधाज्ञा के आवेदन पेश किया था। वाद में रेस्पोडेन्ट की ओर से आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का आवेदन पेश किया गया था, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज किये जाने पर उपरोक्त आदेश के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट की ओर से एक निगरानी माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में की गई है, जो निगरानी लम्बित है और मूल वाद की पत्रावली उपरोक्त निगरानी में माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर भेजी हुई है। रानी उपखण्ड नया सर्जित होने के बाद ग्राम माण्डल को रानी उपखण्ड के अधीन किये जाने और रानी में सहायक कलेक्टर का पदस्थापन होने पर उपरोक्त प्रकरण पाली से रानी ट्रांसफर किया गया। राज्य सरकार द्वारा लोक अदालत एवं केम्प कोर्ट आयोजित करने पर उपरोक्त पत्रावली माण्डल लोक अदालत में पेश की गई, जहां पर अपीलाण्ट प्रतापराम व जेठा की उपस्थिति के हस्ताक्षर करवाये और बाद में ऑर्डरशीट लिखकर उपरोक्त दोनों की ओर से लोक अदालत की भावना से समझौता होने से प्रकरण वापस लेने के आधार पर उक्त अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रकरण जरिये विड्रोल खारिज कर दिया, जबकि उपरोक्त प्रकरण को जरिये राजीनामा विड्रो करने में अन्य अपीलाण्ट्स की कोई सहमति नहीं थी तथा गलत रूप से गुमराह करते हुए प्रकरण को खारिज कर दिया। अनुसूचित जाति की भूमि स्वर्ण जाति के व्यक्ति के नाम धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो अनुसार नहीं हो सकती है, ऐसे राजस्व रेकर्ड में किये गये इन्द्राज शून्य है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावें। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस के समर्थन में आर0आर0डी0 1990 पेज 212, आर0आर0डी0 1991 पेज 94, आर0आर0डी0 1994 पेज 715, आर0आर0डी0 1995 पेज 166, आर0आर0डी0 199 पेज 75 तथा आर0आर0डी0 1998 पेज 507 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों का सहारा लिया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि उपरोक्त पत्रावली राज्य सरकार द्वारा घोषित लोक अदालत केम्प में दिनांक 26.05.2016 को पेश हुई थी। उक्त केम्प में उपस्थित होने हेतु दोनों पक्षों को नोटिस जारी किये गये थे। नोटिस की पालना में समस्त अपीलाण्ट की ओर से अपीलाण्ट प्रतापराम और जेठा दोनों उपस्थित हुए, रेस्पोडेन्ट की ओर से भी पुखराज व शंकरसिंह उपस्थित हुए। तत्पश्चात् दोनों पक्षों में लोक अदालत की भावना से समझाईश हुई थी, जिस पर उपरोक्त अपीलाण्ट प्रतापराम व जेठा की ओर से प्रकरण में लोक अदालत की भावना से समझौता होने से विड्रो हेतु आवेदन पेश किया था और उपरोक्त आवेदन अन्य अपीलाण्ट प्रार्थीगण की सहमति से पेश करना, इन्द्राज किया था। उपरोक्त आवेदन पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लोक अदालत में प्रकरण को समझाईश के तहत राजीनामा होने से जरिये विड्रोल खारिज किया गया था। जब प्रकरण लोक अदालत में सुनवाई हेतु नियत किया जाता है और लोक अदालत में समझाईश से प्रकरण का निर्णय किया जाता है, तो धारा 21 विधिक सेवा प्राधिकारी अधिनियम 1987 अनुसार लोक अदालत में पारित आदेश अंतिम होता है और उसके विरूद्ध किसी भी न्यायालय में किसी प्रकार की कोई अपील, निगरानी विधिनुसार पोषणीय नही रहती है। अपने तर्को के संदर्भ में न्यायिक दृष्टान्त 2016–17 आर0आर0टी (सप्लीमेन्ट) पेज 714 पेश कर निवेदन किया कि एकमात्र इस आधार पर ही अपीलाण्ट्स की अपील पोषणीय नही होने से खारिज योग्य है। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने यह भी निवेदन किया कि जहां तक प्रकरण के मैरिट का प्रश्न हैं, उपरोक्त भूमि पर संवत् 2011 के बाद से कभी भी अपीलाण्ट्स अथवा उनके पूर्वजों का कब्जा काश्त नही रहा हैं, विधिनुसार उपरोक्त भूमि पूर्व में नामान्तरकरण संख्या 50 दिनांक 12.06.1962 के आधार पर रणबहादूरसिंह के नाम राजस्व रेकर्ड में धारा 15 व 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप दर्ज हुई थी। धारा 42 के प्रावधान दिनांक 01.05.1964 से लागू हुए हैं, इससे पूर्व ही विधिनुसार रणबहादूरसिंह के नाम भूमि दर्ज हो गई थी और संवत् 2012 के पूर्व से ही खसरा गिरदावरी में खातेदार के रूप में रणबहादूरसिंह का नाम दर्ज था। तत्पश्चात् रणबहादूरसिंह द्वारा भूमि विरेन्द्रसिंह को विक्रय की गई, विरेन्द्रसिंह ने शांतिलाल व जयंतिलाल को विक्रय की और बाद में शांतिलाल वगैरा से रेस्पोडेन्ट ने भूमि खरीद की है। इस प्रकार विधिनुसार अपीलाण्ट्स खातेदार है, काबिज काश्त है। उपरोक्त भूमि में कुंए खुदवायें है, लगातार 50 वर्षो से अधिक समय से रेकर्डेड खातेदार के रूप में उपयोग, उपभोग में है, इसलिए अपीलाण्ट्स किसी भी रूप से अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। रेकर्डेड

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

खातेदार के विरुद्ध किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत उपरोक्त म्यूटेशन व खसरा गिरदावरी से स्पष्ट हैं कि संवत् 2012 के पश्चात् अपीलाण्ट्स अथवा इनके पूर्वजों का कभी भी कब्जा व का त नहीं रहा है। धारा 42ए के प्रावधान 1.5.64 से लागू होने से इससे पूर्व किए गए इंद्राज किसी भी रूप से अवैध नहीं है। इस संबंध में 1994 आर.आर. डी. पेज 98, 2009 आर.आर.डी. पेज 149 के न्यायिक दृश्टांत पेश किए, साथ ही वकील रेस्पोडेन्ट ने कथन किया कि धारा 19 राज. टिनेन्सी एक्ट के तहत खातेदारी अधिकार दिए जा सकते है, इस संबंध में 1997 आर.आर.डी. पेज 57, 613, 1973 आर.आर.डी. पेज 661, 1978 आर.आर.डी. एन.यू.सी. पेज 87 के न्यायिक दृष्टांत पेश किए। रेकर्डेड खातेदार के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं करने के संबंध में 2006 आर.आर.डी. पेज 36, 413, 2016 आर.आर.डी. पेज 232 पेश किए तथा निवेदन किया कि उपरोक्तानुसार मैरिट पर भी प्रकरण किसी भी रूप से पोषणीय नही होने से भी खारिज योग्य है, ऐसी स्थिति में अपील खारिज किए जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम प्रकरण में यह देखा जाना है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को लोक अदालत में निस्तारित किया गया है या नहीं ? इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लोक अदालत का आयोजन करते हुए दिनांक 26. 05.2016 को केम्प माण्डल में लोक अदालत का आयोजन किया गया था और उक्त पत्रावली लोक अदालत में रखी गई थी, जहां पर अपीलाण्ट की ओर से प्रतापराम व जेठा तथा रेस्पोडेन्ट की ओर से पुखराज व शंकरसिंह उपस्थित हुए। अपीलाण्ट प्रतापराम व जेठा की ओर से एक आवेदन इस आशय का पेश किया गया कि लोक अदालत की भावना से पक्षकारान में समझौता हो गया है, इसलिए इस वाद को वापिस लेना चाहते है, साथ ही उपरोक्त आवेदन शेष प्रार्थीगण की सहमति से पेश करना बताया गया है। उपरोक्त आवेदन के आधार पर ही प्रकरण जरिये विड्रोल खारिज किया गया है। चूंकि शेष प्रार्थीगण अपीलाण्ट्स के हस्ताक्षर नहीं है, इस कारण से सभी अपीलाण्ट्स की ओर से समझाईश के आधार पर प्रकरण विड्रो करना नहीं माना जा सकता है, इस कारण से हमारी राय में अपील पोषणीय है। जहां तक मैरिट का प्रश्न है, दोनों पक्षों द्वारा की गई बहस, प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत और अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न राजस्व रेकर्ड इत्यादि दस्तावेजात् से यह स्पष्ट है कि दिनांक 12.6.62 में पारित म्यूटेशन संख्या 50 के बाद वादग्रस्त भूमि अपीलाण्ट्स अथवा उनके पूर्वजों के नाम दर्ज नहीं होकर रणबहादुरसिंह के नाम

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

दर्ज रही है और रणबहादुरसिंह द्वारा सिलसिलेवार विक्रय होने के पश्चात रेस्पोडेण्ट्स के नाम दर्ज हुई है। खसरा गिरदावरी संवत् 2012 में भी कब्जा–काश्त उपरोक्त रणबहादुरसिंह का दर्ज है, जिसके आधार पर उपरोक्त नामान्तरकरण संख्या 50 दिनांक 12.6.62 पारित हुआ है। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत से स्पष्ट है कि दिनांक 1.5.64 के पूर्व अनुसूचित जाति की जमीन अन्य जाति के व्यक्ति के नाम होने पर धारा 42 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, क्योंकि धारा 42 के प्रावधान दिनांक 1.5.64 को लागू किए गए है। इसके अलावा भी अपीलाण्ट्स 1962 से अब तक राजस्व रेकर्ड में खातेदार दर्ज नहीं रहे है, इसके विपरित रेस्पोडेण्ट्स पिछले 50 वर्षों से अधिक समय से रेकर्डेड खातेदार के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज है, खसरा गिरदावरी भी रेस्पोडेण्ट्स के नाम दर्ज है, ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला अपीलाण्ट्स के पक्ष में नहीं होकर रेस्पोडेण्ट्स के पक्ष में है। जहां तक सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दुओं का प्रश्न है, इस न्यायालय का मत है कि जब अपीलाण्ट्स वर्ष 1962 के बाद खातेदार ही नही रहे हैं और अपने हक–अधिकार हेतु इनके पूर्वजों के नाम हटाने के करीब 50 वर्ष बाद न्यायालय में आए है, इस दौरान अपीलाण्ट्स अथवा उनके पूर्वजों का किसी भी रूप से कब्जा–काश्त नहीं रहा हैं, इसलिए प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों अनुसार रेकर्डेड खातेदार के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती हैं। अस्थायी निषेधाज्ञा के बाद तीनों ही बिन्दू प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति अपीलाण्ट्स के पक्ष में प्रमाणित व साबित नहीं है, इसलिए अपीलाण्ट्स अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील पोषणीय नहीं होने से मैरिट पर भी खारिज योग्य है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत बलहीन एवं सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 59/2009 हंजा वगैरा बनाम तीजोबाई वगैरा में पारित आदेश दिनांक 26.05.2016 को यथावत रखा जाता है। तद्नुसार अपीलाण्ट का अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 11.1.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली